उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 200वीं बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2007 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 200वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री शंकर अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई जिसमें निम्न उपाध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित रहे :–

1	श्री शंकर अग्रवाल	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	श्री मदन लाल बिन्द	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
3	श्री अच्छे लाल निषाद	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
4	श्री हीरा लाल कश्यप	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
5	श्री अनिल सन्त	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
6.	श्री शिवानन्द गिरि	विशेष सचिव, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव वित्त , उ0प्र0 शासन।	सदस्य
7	सुश्री नीरजा कृष्णा	सं0 निदेशक, प्रतिनिधि,प्रमुख सचिव,सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0शासन	सदस्य
8	श्री एन0 आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0।	सदस्य
9	श्री यू0 के0 गुप्ता	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
10	श्री एस0 एन0 राम	मुख्य अभियंता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
		विशेष आमंत्री	
11	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सं0सचिव, प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	वि0आमंत्री

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने, निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक सम्पन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

मद सं0	विषय	निर्णय
200/1	परिषद की 199वीं बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
200/2	परिषद की 199वीं बैठक दिनांक 6 सितम्बर, 2007 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

वित्त एवं लेखा अनुभाग

200/3	वित्तीय वर्ष 2001–02 की बैलेंस शीट (पुनरीक्षित) के अनुमोदन के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
200/4	वित्तीय वर्ष 2002–03 की (पुनरीक्षित) बैलेंस शीट/वार्षिक लेखों के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
200/5	वित्तीय वर्ष 2003–04 की (पुनरीक्षित) बैलेंस शीट/वार्षिक लेखों के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
200/6	वित्तीय वर्ष 2004–05 की (पुनरीक्षित) बैलेंस शीट/ वार्षिक लेखों के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
200/7	वित्तीय वर्ष 2005–06 की (पुनरीक्षित) बैलेंस शीट/ वार्षिक लेखों के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
200/8	वित्तीय वर्ष 2006–07 की बैलेंस शीट/वार्षिक लेखों के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

200/9	योजना संख्या–1, कानपुर में समाविष्ट ग्राम हसनपुर के आराजी संख्या–211 की भूमि के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त किया गया।
200/10	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना संख्या–2 में समाविष्ट खसरा संख्या 536, 537, 538 कुल रकबा 2815.02 वर्गमीटर खसरा संख्या 540 अ, 540 ब क्षेत्रफल 3970 वर्गमीटर, खसरा संख्या 560, 561, 564 कुल रकबा 5530 वर्गमीटर खसरा संख्या 541 क्षेत्रफल 2810 वर्गमीटर भूमि कैथोलिक डायोसेज आफ लखनऊ के पक्ष में समायोजन/आबंटित करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देशित किया गया कि कुल भूमि 15125.02 वर्ग मी0 शैक्षिक संस्था हेतु आवासीय मूल्य का 40% लेते हुए आवंटित किया जाये। 10% समायोजन शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में आवास आयुक्त को परीक्षण करके निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।

प्रशासन अनुभाग

200/11	उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली–2007, परिषद में अंगीकृत किए जाने के संबंध में।	उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता (तृतीय संशोधन) नियमावली–2007, को अक्षरशः अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके अनुसार इसे वर्ष 1995 से लागू किया जाना है। निर्देश दिये गये कि यदि इसको लागू करने में कोई व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती हैं तो शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये।

200/12	बैक लाग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सहायक अभियंता (सिविल) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध परिषद में अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्यरत अवर अभियंताओं द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध।	निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को संदर्भित कर मार्ग दर्शन प्राप्त किया जाये।
200/13	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
200/14	अधीक्षण अभियंता के पद पर स्थायी किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्देश दिये गये कि भविष्य में केवल उन्ही प्रकरणों को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये, जिनको विशेष परिस्थितियों में रोका जाना सम्भव न हो।
200/15	लिपिकीय एवं आशुलिपिकीय वर्ग की भाँति अन्य संवर्गों को समानता के आधार पर वेतनमान पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में।	शासन को संदर्भित किया जाये।

अभियंत्रण अनुभाग

200/16	वृन्दावन योजना संख्या–3 व 4 लखनऊ तथा मझोला योजना संख्या–4, मुरादाबाद में कमशः 1000 नग व 300 नग दुर्बल आय वर्ग भवनों में समाहित भूमि के मूल्य एवं सेन्टेजेज को योजना की अन्य विक्रयशील भूमि पर समायोजित करने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

200/17	रिट याचिका संख्या 7625 (एम0बी0)/2007 श्रीमती मूर्ति देवी व अन्य बनाम परिषद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.07 के दृष्टिगत प्रत्यावेदन निस्तारण के संबंध में।	गुण दोष के आधार पर प्रत्यावेदन का निस्तारण करने के लिए आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
200/18	दिल्ली सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या 2558/2 डा0 वीरसेन सरोहा, पूर्व सदस्य विधान परिषद की भूमि के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि प्रकरण उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण कोई कार्यवाही संभव नही है।

प्रशासन अनुभाग

200/19	परिषद के अभियंताओं व अन्य अधिकारियों/ कर्मचारियों को मोबाईल बिल के व्यय की प्रतिपूर्ति करने के संबंध में।	इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि आवास आयुक्त, C.U.G. के

		अन्तर्गत सुविधा दिये जाने का भी परीक्षण करा लें एवं जो सर्वाधिक श्रेयस्कर सुविधा हो उसे लागू कर दिया जाये।
200/20	लेखा संवर्ग में लेखाकार/कनिष्ठ लेखाधिकारी के संशोधित वेतनमानों का दिनांक 1.1.1986 से एरियर अनुमन्य किए जाने के संबंध में।	पूर्ण स्थिति का उल्लेख करते हुए शासन को संदर्भित किया जाये।
200/21	बैकलाग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अवर अभियंता(सिविल/विद्युत) के विज्ञापित पदों के विरुद्ध परिषद में अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारी जिन्हें वर्ष–1997 से अवर अभियंता का मूलवेतन प्राप्त है, को अधिकतम आयुसीमा में छूट प्रदान किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि शासन को संदर्भित किया जाये।

संपत्ति प्रबंध अनुभाग

200/22	वित्तीय वर्ष 2007–08 में विशिष्ट योजनान्तर्गत माननीय कांशी राम नगर आवास योजना में दुर्बल आय वर्ग भवन/आवासीय भूखण्ड का पंजीकरण खोले जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि शासन का परामर्श प्राप्त किया जाये।
200/23	झूँसी योजना संख्या–3, इलाहाबाद स्थित भवन संख्या 7/275 पर देय विलम्ब शुल्क माफी के संबंध में।	प्रस्ताव निरस्त किया गया।
200/24	परिषद की विभिन्न शहर/योजनाओं में पंजीकरण के विरुद्ध आबंटन से अवशेष एवं अनिस्तारित संपत्तियों में क्रमशः अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग भवन, उच्च आय वर्ग भवन एवं 80 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भूखण्डों का निस्तारण नीलामी द्वारा किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
200/25	राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में श्री विनय कुमार सिंह एवं श्री प्रकाश चन्द्र सचान के पक्ष में आवंटित उच्च आय वग्र भवन संख्या–सी–1851 एवं भवन संख्या–सी–1853 के पुन मूल्यांकन के संबन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

200/26	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये :– 1. बैठक की कार्यसूची कम से कम 10 दिन पूर्व सदस्यो को उपलब्ध करायी जाये। 2. परिषद द्वारा तैयार की गयी वैलेंस सीट की Synopsis, C.A कमेन्टस तथा विभागीय टिप्पणी चार्ट रूप में प्रस्तुत किया जाया करे। 3. बैलेन्स शीट में अडिटर्स द्वारा कौन–कौन सी कमियाँ इंगित की गयी है उसे प्रस्तुत किया जाये और इस

		बात का परीक्षण किया जाये की उनके लिए कौन जिम्मेदार है। 4. परिषद की वित्तीय सुदृढ़ता के सम्बन्ध में आगामी बैठक में टिप्पणी प्रस्तुत की जाये। 5. निजी क्षेत्रो की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में भूमि उपलब्ध कराने के साथ–साथ वित्तीय सहभागिता के सम्बन्ध में भी विचार किया जाये। 6. अनिस्तारित परिसम्पत्तियों की समीक्षा की जायें तथा 2 वर्ष, 5 वर्ष तथा 8 वर्ष से अधिक समय से अवरूद्ध सम्पत्तियों का विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। 7. आई0एस0ओ0 योजना के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की टिप्पणी प्रस्तुत की जाये। 8. आयकर के सम्बन्ध में परीक्षण किया जाये कि परिषद पर आयकर लागू नही होना चाहिए। इस सम्बन्ध में विषय विशेषज्ञ से परामर्श लेकर टिप्पणी आगामी बोर्ड बैठक में रखी जाये। 9. परिषद में एकाउन्टिगं स्टैण्र्ड सुनिश्चित कराया जाये।

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
अपर आवास आयुक्त एंव सचिव

(अनिल सन्त)
आवास आयुक्त

(शंकर अग्रवाल)
अध्यक्ष

शुद्धि की गयी
अध्यक्ष